**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर**

मुकदमा नंबर 30/2022 — निर्णय दिनांक: २५.८.२०२२

ऑनलाईन नंबर 2022/77

सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रणसिंह जाति राजपूत निवासी लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। —वादी—

**बनाम**

1. मदन कंवर पत्नी स्व. रूपसिंह 2. ओमसिंह 3.कालूसिंह 4. छोटूसिंह 5. अन्नूकंवर 6. मैनाकंवर 7. सरोज कंवर पुत्रगण/पुत्रियां स्व. रूप सिंह जाति राजपूत निवासीगण लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ — **प्रतिवादीगण—**

9. सिकन्दर सिंह पुत्र स्व. रणसिंह 10. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रणसिंह जाति राजपूत निवासीगण लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 11. बबीता देवी पत्नी स्व. विजेन्द्रसिंह 12. मनीष सिंह 13. विजयसिंह 14. मनीषा 15. आसा पुत्रगण/पुत्रिया स्व. विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 16. नीतू देवी पत्नी स्व. नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 17. करणसिंह उम्र 15 वर्ष 18. मुस्कान बउम्र 13 वर्ष 19 पूजा बउम्र 12 वर्ष नाबलिगान पुत्र/पुत्रिया स्व. नरेन्द्रसिंह जरिये अपनी संरक्षिका माता नीतूदेवी पत्नी स्व. नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। **—गौण प्रतिवादीगण—**

**उपस्थितिः—**
1. श्री महेन्द्रसिंह मान अभिभाषक वादी
2. स्टेट की ओर से पैरोकारराज
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 19 स्वंय

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। उक्त खसरा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पति/पिता रूपसिंह पुत्र जंवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ के नाम से रही है। वादी के पिता रणसिंह पुत्र बींझासिंह जाति राजपूत निवासी लालासर ने खातेदार रणसिह राजपूत से उनकी खातेदारी के खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर की भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2013 को 4,00,000/—रूपये में खरीद कर लिया। रूपसिंह राजपूत ने वादी के पिता से प्रतिफल राशि प्राप्त 1.01 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का कब्जा वादी के पिता रणसिंह राजपूत को सुपुर्द कर दिया। वादी के पिता रणसिंह राजपूत द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खातेदार रूपसिंह राजपूत से उनकी खातेदारी के खेत में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर कृषि भूमि खरीद करने के बाद उक्त 1.01 हैक्टेयर भूमि को काश्त करने लगा। इसी दरम्यान वादी के पिता रणसिंह पुत्र. बीझासिंह की मृत्यु दिनांक 23.10. 2017 को हो गई। वादी की माता की भी मृत्यु हो चुकी है। वादी के पिता रणसिंह के वारिसानों में वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 9,10 व गौण प्रतिवादी सं. 11 से 15 के पिता/पति विजेन्द्रसिंह व गौण प्रतिवादी संख्या 16 से 19 के पति/पिता स्व. नरेन्द्रसिंह हुए है। वादी के पिता रणसिह राजपूत की मृत्यु के बाद रणसिंह की खातेदारी के खेतो का विरासतन इन्तकाल वादी व वादी के भाईयों के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया व आपस में विभाजन कर लिया जिसके अनुसार (वादगत खसरा भूमि जिसको वादी के पिता रणसिंह ने रूपसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2013 को खरीद किया था) उक्त कृषि भूमि वादी के हिस्से पांति में आई यानि वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर की भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि पर आज तक वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने मार्च 2022 में अपनी पैतृक खातेदारी भूमि व वादगत खरीद शुदा भूमि 1.01 हैक्टेयर भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर की भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि जो वादी के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था उसका आज तक कोई इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है व विक्रता रूपसिंह की मृत्य . ्परान्त उक्त खसरा भूमि की खातेदारी रूपसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम इन्तकाल 355 दिनांक 27.01.2022 को जरिये राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलत रूप से दर्ज कर दी गई। वादी के ति रणसिंह राजपूत ने वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 वाकेरोही लालासर की 8.61 हैक्टेयर भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2013 को खरीद किया था। पंजीयन कार्यालय में कृषि भूमि से संबंधित लेख्य पत्रों का पंजीयन होने के बाद एक प्रति अपने आप राजस्व विभाग में चली जाती है और विक्रय पत्र के आधार पर उसका इन्तकाल दर्ज कर दिया जाता है। वादी के पिता व वादी को यही ध्यान मे रहा कि पंजीयन कार्यालय (राजस्व विभाग) द्वारा उनकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि का अब तक इन्तकाल दर्ज कर दिया होगा परन्तु राजस्व विभाग की गलती व लापरवाही की वजह से वादी के पिता द्वारा खरीद शुदा कृषि भूमि के संबंध में ऐसा नहीं किया और प्रतिवादीगण के पति/पिता रूपसिंह की मृत्यु के बाद उक्त खसरा 288/209 रोही लालासर की सम्पूर्ण भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम बिल्कुल ही गलत रूप से दर्ज कर दिया। वादी के पिता रणसिंह राजपूत द्वारा खसरा नंबर 288/209 की भूमि में से खरीद किए गये पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 7 से दिनांक 7.03.2022 को मिलकर कहा कि वादगत खेत में से 1.01 हैक्टेयर भूमि को मेरे पिता ने आपके पति/पिता रूपसिंह से चार लाख रूपये

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में खरीद कर लिया था व कब्जा काश्त भी हमारा चला आ रहा है तो आपने रूपसिंह की मृत्यु के बाद पूरे खेत का इन्तकाल कैसे दर्ज करवा लिया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने कहा कि सारी बाते हमारे ध्यान में है, परन्तु हमने राजस्व विभाग में वारिसनामा पेश किया तो वारिसनामा में वर्णित सभी सदस्यों के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 से निवेदन किया कि अब आप तहसील कार्यालय चलकर हमारी खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा दो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब हम हमारे खेत में से 1.01 हैक्टेयर भूमि को आपके नाम नही करवायेंगे व ना ही हमारे पास समय है, ऐसी स्थिति में वादगत खेत की पूर्वी तरफ 1.01 हैक्टेयर भूमि जो वादी के हिस्से पांति की भूमि है तथा कब्जा काश्त भी वादी का चला आ रहा है की खातेदारी की घोषणा करवानें के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है। वादी वादगत खेत को अपने पिता द्वारा सन 2013 से खरीद करने के बाद से काश्त करता चला आ रहा है। वादगत खेत की पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि का वादी अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाकर विभाजन करवाने का भी कानून अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने नाम दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादी को वादगत खेत की पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर खरीदशुदा भूमि से बेदखल करने व वादगत सम्पूर्ण खेत को किसी वितीय संस्था अथवा बैंक के यहा रहन रख कर ऋण लेने की धमकिया एलानिया तौर दिनांक 07.03.2022 को दी है। वादी का वादगत खेत के पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चले आने वादाधार व इन्कारी की दिनांक 07.03.2022 से वाद हेतु हासिल है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर शेष 7.60 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज की जावे व उसका अमल दारामद प्रतिवादी संख्या 8 से करवाया जावें।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में से पूर्वी तरफ की 1.01 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में अलग से तरमीम किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 8 को दिया जाकर उसकी पालना करवाई जावें।

(ग) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ से वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा काश्त, उपभोग में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी पैदा नहीं करे। वादगत खेत को किसी को विक्रय, रहन, बैंय, दीगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा जो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावें।

(ड़) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 19 द्वारा स्वंय उपस्थित होकर इकबालिया राजीनाम पेश किया गया। स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। बहस सुनी गई। पैरोकारराज ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर रोही लालासर में वादी के पिता द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा के उक्त खसरा के पूर्वी तरफ से 1.01 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी जिसका रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। वादी का उक्त खसरें में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम सीमा डालकर कब्जा काश्त है। इसी खसरे के उतरी तरफ वादी की खातेदारी स्थित है। जबकि रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज में पूर्वी तरफ से क्रय किया जाना बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामें से वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने एवं व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## निर्णय

खेत खसरा नंबर 288/209 तादादी 8.61 हैक्टेयर वाकेरोही लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में से उतरी तरफ कब्जा काश्त के अनुसार की 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी रणसिंह के वारिसान (वादी) सुरेन्द्रसिंह के नाम घोषित की जाकर शेष 7.60 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में अलग से तरमीम किए जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २५.८.२०२२ को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)